(2) सिद्धभार (धारा 9)

संशोधन अधिनियम 1976 से पहले लक्ष्मण रामचन्द्र कृपालनी बनाम मीना के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह तय किया गया कि सिद्धभार व्यथित पक्षकार पर होगा न कि विपक्षी पर, परन्तु जब व्यथित पक्षकार द्वारा धारा 9 में योजित की गई याचिका में इस बात का भार विपक्षी पर होगा कि वह यह सिद्ध करे कि वह युक्तियुक्त कारण व्यथित पक्षकार के साथ रहने से इन्कार करती है या करता है। न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त कारण जो दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन के लिए माने गये हैं उनमें पति का पत्नी के साथ संयोग से इन्कार करना, प्रत्यर्थी द्वारा दूसरे पक्षकार के साथ क्रूरता से व्यवहार करना, चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाना, पति का पत्नी से किसी अन्य पुरुष के साथ संभोग करने को कहना, पत्नी का पति के साथ रहने से इन्कार करने के युक्तियुक्त कारण है। कुपारामोकी बनाम कुप्पा कामेश्वरी के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि इस बात की जिम्मेदारी विपक्षी पर है यदि पति द्वारा इस धारा में याचिका प्रस्तुत की जाती है तो पत्नी को यह साबित करना होता है कि वह पर्याप्त कारण से अपने पति से अलग रह रही है यह कारण ऐसा होना चाहिए कि जिसके आधार पर विपक्षी चाहे तो न्यायालय से न्यायिक पृथक्करण, विवाह विच्छेद या विवाह शून्य की डिक्री प्राप्त कर सके। इस मामले में पत्नी ने अपने पति से अलग रहने का कारण बताया कि उसका पति उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता था। क्रूरता इतनी गंभीर पायी गई कि इससे पत्नी के जीवन को खतरा था और इस क्रूरता के आधार पर पत्नी चाहती तो Judicial separation की डिक्री प्राप्त कर सकती थी। उच्च न्यायालय द्वारा पत्नी का पति की संगती छोड़ना युक्तियुक्त कारण मानते हुए पति के दाम्पत्य पुनर्स्थापन की याचिका रद्द कर दी।

Scanned with CamScanner